


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक ई-18/एम/जोन जयपुर/2019 दिनांक

आदेश


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरार श्री सुशील कुमार गुरु, वरिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.04.1989 है तथा राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि 15.04.2016 को पूर्ण करली है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 14(88)/एफडी/रुल्स/2008-11 दिनांक 01.06.2017 की अनुपालना में दो से अधिक सतान होने के कारण 3 वर्ष पश्चात दिनांक 15.04.2019 से पे मेट्रिक के लेवल 11 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन सवधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन जयपुर/2019/1615 दिनांक 30/02/19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
- 2 श्री सुशील कुमार गुरु, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
- 3 प्रभारी सार्वर रुम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर